**बिहार सरकार**

**खान एवं भूतत्व विभाग**

**आदेश**

पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्त्त के अनुसार मानसून अवधि (mid June to mid October) तक नदियों से बालू खनन बंद रहता है। इस अवधि में भण्डारण अनुज्ञप्तियों एवं सेकेण्डरी लोडिंग स्थल पर भण्डारित से बालू से निर्माण कार्यों में आपूर्ति की जाती है। सभी जिला समाहर्त्ता को सेकेण्डरी लोडिंग स्थल पर भण्डारित बालू की जाँच कराने का निदेश विभाग द्वारा दिया गया था, जिसकी जाँच जिलों द्वारा की जा चुकी है।

2. मानसून अवधि में निर्माण कार्यों में बालू की किल्लत न हो, इसके लिए वैसे सेकेण्डरी लोडिंग स्थल, जिसपर CCTV कैमरा अधिष्ठापित हो एवं धर्मकाँटा NIC पोर्टल से Integrate हो, से बालू प्रेषण/ बिक्री की अनुमति दी जाती है। सभी सेकेण्डरी लोडिंग स्थलधारी/भण्डारण अनुज्ञप्तिधारी विभाग की अधिसूचना संख्या–2387 दिनांक 15.06.2024 का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

3. संबंधित खनिज विकास पदाधिकारी सेकेण्डरी लोडिंग के भौतिक सत्यापन में पाये गये भण्डारित कैपिंग के अनुसार बालू की मात्रा की जाँच कर NIC को उपलब्ध करायेंगे, जिसके आधार पर NIC द्वारा भण्डारित बालू के लिये ई–चालान निर्गत किया जाएगा।

4. सेकेण्डरी लोडिंग की आड़ में किसी प्रकार का खनन न हो, यह संबंधित खनिज विकास पदाधिकारी/खान निरीक्षक द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

5. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का आदेश प्राप्त है।

ह0/–
(मो0 नैय्यर इकबाल)
निदेशक, खान

ज्ञापांकः– 02/एम0एम0(बा0)–45/24–....................../एम०, पटना, दिनांक–..................

प्रतिलिपिः– सभी समाहर्त्ता/ सभी खनिज विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
निदेशक, खान

ज्ञापांकः– 02/एम0एम0(बा0)–45/24–2653/एम०, पटना, दिनांक–02/07/2024

प्रतिलिपिः– प्रोजेक्ट कॉर्डिनेटर, NIC/ आई0टी0 प्रबंधक, खान एवं भूतत्व विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, खान
1/7/24